फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखे)

अनुदान संख्या व नाम : 43- परिवहन विभाग वित्तीय वर्ष 2020-21 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (राजस्व पक्ष)	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान / विनियोग
1	2	3	4	5	6
(1) 3055 00 001 03 00 3055-सड़क परिवहन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय **01- वेतन**	11388.58	701.16	448.82	448.82	10939.76
योग-	**11388.58**	**701.16**	**448.82**	**448.82**	**10939.76**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (राजस्व पक्ष) अनुदान संख्या-43	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्याशित व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
(1) 3055 00 001 03 00 3055-सड़क परिवहन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय **46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय**	1000.00	1448.82	448.82	448.82	1448.82
योग -	**1000.00**	**1448.82**	**448.82**	**448.82**	**1448.82**

(1) बचत का कारण निम्नानुसार है :-

मद संख्या-01-वेतन में बचत का मुख्य कारण कतिपय कार्मिकों को देय ए0सी0पी0 का लाभ स्वीकृत सम्बन्धी प्राप्त प्रस्ताव अपूर्ण होने अथवा प्राप्त पूर्ण प्रस्ताव की प्रक्रिया में होने के कारण।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नोटः- कालम संख्या 3 में आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत रू 701.16 लाख दर्शायी गयी है क्योकि बी0एस0एन0एल0 को देय अवशेष धनराशि रू 252.34 लाख की देयता के निस्तारण हेतु कार्यालय के पत्र संख्या 772ए/2021-36ए/2020, दिनांक 15.03.2021 द्वारा मद संख्या 01 में उपलब्ध बचत से पुनर्विनियोग प्रस्ताव शासन के स्वीकृतार्थ प्रेषित किया गया है।

(2) व्यायाधिक्य के कारण निम्नानुसार हैंः-

शासन के पत्र संख्या 1766/30-3-2020, दिनांक 06.07.2020 द्वारा स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेन्स योजना के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था निक्सी को अनुबन्ध विस्तारण की तिथि दिनांक 15.12.2018 के उपरान्त (दिनांक 15.12.2018 से 15.04.2019 तक की अवधि) के कार्य की कार्योत्तर अनुमति तथा उक्त कार्य की देयता हेतु भुगतान किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के कारण।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्वनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर0ई0-718 /ई-9-यू0ओ0-ई-9-413(1)/दस-2020, दिनॉक 30 मार्च, 2021

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

ह0/-
(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)
अपर निदेशक,
वित्त विभाग,
उ०प्र०शासन।

ह0/-
(रेनू वर्मा)
अनु सचिव,
परिवहन विभाग।

संख्या-46/2021/1019/तीस-3-2021 दिनॉक 30 मार्च, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(रेनू वर्मा)
अनु सचिव,
परिवहन विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in